संख्या- 9 /2026/252 /001-252-23-10-2026-E-1941934

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2026

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मदों में पुनर्विनियोग के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/440063/2025 दिनांक 29.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन-04-कार्यकारी के अंतर्गत 01-वेतन की मद से रू0 432.29488 लाख के पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 29.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 432.29488 लाख के पुर्नविनियोग के प्रस्ताव के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-04-कार्यकारी-00-01-वेतन के अन्तर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मदों (अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-97-वाह्य सहायतित योजनाएँ-9706-कार्यकारी (आर0एस0आई0आर0 के कार्यों के निष्पादन हेतु परिचालन)-13-टेलीफोन पर व्यय मद में रू0 18.65 लाख एवं अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-97-वाह्य सहायतित योजनाएँ-9706-कार्यकारी (आर0एस0आई0आर0 के कार्यों के निष्पादन हेतु परिचालन)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 413.64 लाख) में कुल रू0 432.29 लाख के पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहमति प्रदान की जाती है:-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 18,65,000 (रुपये अठारह लाख पैंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 054 **लेखा शीर्षक** 2059800019706 कार्यकारी (आर0एस0आई0आर0 के कार्याें के निष्पादन हेतु परिचालन व्यय) **मानक मद** 13 टेलीफोन पर व्यय (*2*) रुपये 4,13,64,000 (रुपये चार

करोड़ तेरह लाख चौंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 054 **लेखा शीर्षक** 2059800019706 कार्यकारी (आर0एस0आई0आर0 के कार्यों के निष्पादन हेतु परिचालन व्यय) **मानक मद** 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में)/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
8- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।